26

संख्या–1605/XVI(1)/11/7(2)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 03 नवम्बर,2011

विषयः–उद्यान विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–29 की आयोजनागत पक्ष की योजना "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश" के कियान्वयन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1297//उद्योग/मैचिंग ग्राण्ट/2011,दिनांक–15–10–11 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश" के कियान्वयन हेतु प्राविधानित बजट की कुल धनराशि ₹–300.00 लाख (₹तीन करोड़ मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011,दिनांक–31–03–2011 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि व्यय करते समय प्रक्योरमेन्ट रूल्स,2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम),वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(5) निर्माण कार्यो के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहॉ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

क्रमशः––2

(8) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

(9) योजनावार व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(10) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश के उप मानक मद 50–सब्सिडी में से वहन किया जायेगा।

(12) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–97(P)/वित्त अनु0–4/2011,दिनांक–03 नवम्बर,,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–1605 /XVI(1)/11/7(2)/10, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर,देहरादून।
7– राज्य योजना आयोग,देहरादून,उत्तराखण्ड।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(विनोद फोनिया)
सचिव।